न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 78 / 16–17

मनोज सोरेन बनाम् रैयान, मौजा–भैसावरण

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रकिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

वर्त्तमान प्रकिया आवेदक मनोज सोरेन, पे0– स्व0 आनंद सोरेन, सा0–भैसावरण, कुरूम टोला, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा–धमनी के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है।

आवेदन द्वारा दाखिल आवेदन की जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–157 / रा0, दिनांक–26.03.2014 से प्राप्त है। जांच प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि मौजा–भैसावरण, थाना नं0–756, जमाबंदी नं0–22 के जमाबंदी रैयत वपकु सोरेन वल्द दासो सोरेन वो हरदाश सोरेन वो सोना सोरेन वो कुवंर सोरेन, पे0–भंकिया सोरेन, कौम–संथाल सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक मनोज सोरेन गत प्रधान स्व0 आनंद सोरेन के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अंचल अधिकारी, महागामा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत् वंशानुगत आवेदक मनोज सोरेन को मौजा–भैसावरण का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया है।

मौजा के सोलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु इस न्यायालय के डी0बी0 सं0–24 / रा0, दिनांक–27.04.2017 द्वारा नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। सोलह आना रैयतों से नोटिस तामिला कराया गया। किसी भी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक मौजा के सोलह आना रैयतों से सामान्तया स्वीकार्य योग्य है तथा संथाल परगाना काश्तकारी अधिनियम 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता देने का प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के सोलह आना रैयतो से किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही है एवं अंचल अधिकारी, महागामा के जांच

प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धा- के तहत् मौजा–भैसावरण, थाना नं0–756, का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक- प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक साल का खजाना कोषागार में जमा कर चालान की प्रति के साथ कबुलियत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करें।

5/10/12

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।